मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–175/2023

1. सदिक मोहम्मद पुत्र दोष मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादी

बनाम

1. अनवर मोहम्मद पुत्र दोष मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सरवर मोहम्मद पुत्र दोष मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :–02.02.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.02.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पे'k होने पर, आदे'k किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क.) वादी सदिक मोहम्मद को प्राप्त आराजी :– चक नंम्बर 5 एस.बी.एन. के पत्थर नम्बर 211/205(35) किला नम्बर 6, 15, चक नम्बर 2 एम.के.एस.–ए खाता संख्या 158/144 में कुल 0.379 हैक्टर, चक नम्बर 1 एम.के.एस.–ए खाता संख्या 19/20 में अंकित कुल 2.783 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 अनवर मोहम्मद का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 सरवर मोहम्मद का 1/9 हिस्सा में से 0.080 हैक्टर।

(ख.) प्रतिवादी संख्या 1 अनवर मोहम्मद को प्राप्त आराजी :– चक नंम्बर 5 एस.बी.एन के पत्थर नम्बर 211/210 (61) किला नम्बर 25, पत्थर नम्बर 212/210 (60) किला नम्बर 8, 13, 18/0.759 हैक्टर।

(ग.) प्रतिवादी संख्या 2 सरवर मोहम्मद को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 1 एम.के.एस बी के खाता संख्या 111/105 में कुल 0.506 हैक्टर, चक नम्बर 5 एसबीएन के पत्थर नम्बर 211/205 (35) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 हैक्टर रास्ता, पत्थर नम्बर 212/205 (36) किला नम्बर 1,10, पत्थर न[illegible]/210 (60) किला नम्बर 21

(घ) वादी सदिक मोहम्मद व प्रतिवादी [illegible] को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 1 एम.के.एस.–ए के खाता संख्या 83/8[illegible] कुल 2.024 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 अनवर मोहम्मद का 337/4048 हिस्सा।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 1 एम.के.एस. ए के खाता संख्या 19/20 में से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनवर मोहम्मद का नाम कलमजन व सरवर मोहम्मद का हिस्सा कम, चक नम्बर 1 एम.के.एस. ए के खाता संख्या 83/89 में से अनवर मोहम्मद का नाम कलमजन, चक नम्बर 1 एम.के.एस बी के खाता सं0 111/105 में से अनवर मोहम्मद, सदीक मोहम्मद का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 एम.के.एस ए के खाता संख्या 158/144 मे से अनवर मोहम्मद, सरवर मोहम्मद का नाम कलमजन, चक नम्बर 5 एस.बी.एन के खाता संख्या 183/165 मे से अनवर मोहम्मद का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 02.02.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner